संख्या-13/13/2/2012/का-1-2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 11 फरवरी, 2014

विषय:-अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-611/का-1-2005, दिनांक 19.7.2005 एवं शासनादेश संख्या-13/2/2012/का-1-2012, दिनांक 24.05.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त शासनादेशों के संदर्भ में, सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3027/11-सत्ताईस-3-26विविध/10, दिनांक 16.9.2011 एवं शासनादेश संख्या-1309/12-सत्ताईस-3-26विविध/10, दिनांक 24.8.2012 में प्राविधानित व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के इन शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था को कार्मिक विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.7.2005 एवं दिनांक 24.05.2012 की व्यवस्था से अभिमुक्त किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in